8167 — 5616
31/1/14 — 9/10/13

अनुसूची–[illegible] फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या–117/2013–14

मो0 साकिर बनाम मो0 आफताब वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत इस वाद में मो0 साकिर, पिता– स्व0 मो0 सत्तार, ग्राम– उजान, थाना– सकतपुर, जिला– दरभंगा आवेदक तथा (1) मो0 आफताब (2) मो0 महताब (3) मो0 खुर्शिद (4) मो0 परवेज चारों पिता – स्व0 हसन नदाफ, ग्राम– उजान, थाना– सकतपुर, जिला– दरभंगा विपक्षी सदस्य हैं। विवाद के अन्तर्गत इस वाद में मौजा – उजान, थाना– सकतपुर, जिला– मनीगाछी में अवस्थित अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
		बी0–क0–धु0–धु0	
226 पु0	1880 पु0	00–02–16–00	उ0– मो0 इसराईल
			द0– दरगाह
			पू0– मो0 इसराईल
			प0– प्रतिवादीगण

आवेदक ने प्रस्तुत वाद दिनांक 09.05.2013 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से शपथ पत्र एवं निर्धारित न्याय शुल्क मुद्रांक के साथ दाखिल किया जिसपर विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद की प्रविष्टि की गई एवं विपक्षीयों को निबंधित सूचना निर्गत की गई, विपक्षगण कार्रवाई में उपस्थित हुए तथा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत किया जिसपर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई है।

उभय पक्षों के दावे–प्रतिदावे का अनुशीलन किया तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुना।

विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक अपने अन्य पाँच भाईयों तथा अपने कमाई से सभी के नाम जगरनाथ मंडल पिता– स्व0 लतर मंडल से प्रश्नगत भूमि का हक–हकियत वो स्वामित्व वो दखल–कब्जा प्राप्त किया वो सभी भाईयों के नाम से जमाबन्दी कायम करा कर रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं तथा शान्तिपूर्ण दखल–कब्जे में चले आ रहे हैं। आवेदक का कहना है कि विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि से बेदखल करना चाहते हैं तथा बोलते हैं कि यहाँ से जमीन छोड़कर दूसरे जगह (मस्जिद के जमीन पर) चले जाओ, नहीं तो सभी भाईयों को बलपूर्वक हटा देंगें।

08/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

विपक्षीयों ने अपने Rejoinder में कहा है कि प्रश्नगत खेसरा का कुल रकवा 09 कट्ठा 12 धुर है जो बदरी लहेरी की भूमि थी। बदरी लहेरी अपने तीन पुत्री को छोड़कर मर गये तथा तीनों पुत्रीयों को 03 कट्ठा 04 धुर प्रत्येक को हिस्सा मिला। बदरी लेरी के सबसे बड़ी पुत्री के पुत्र– इब्राहिम लहेरी ने दिनांक 23.12.1967 को प्रश्नगत खेसरा की 01 कट्ठा 10 धुर भूमि विपक्षीयों के दादा को बयनामा कर दखल–कब्जा दे दिया तथा बदरी लहेरी के तीसरी पुत्री के पुत्र मो0 छोटकन ने 03 कट्ठा 13 धुर मो0 आफताब आलम को दिनांक 13.12.1989 को बयनामा कर दिया। इस प्रकार विपक्षीयों ने प्रश्नगत खेसरा से 02 कट्ठा 13 धुर भूमि पर अपने दखल–कब्जा का दावा किया है।

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत दावे–प्रतिदावे एवं कागजातों के विश्लेषण तथा विद्वान अधिवक्ता को सुनने से विदित होता है कि प्रश्नगत पुराना खेसरा नं0 1880 के खतियानी रैयत स्व0 बदरी लहेरी थे जिन्हें कोई पूत्र नहीं था, बल्कि मात्र तीन पुत्रीयाँ थी तथा प्रश्नगत खेसरा का कुल खतियानी रकवा 09 कट्ठा 12 धुर है जिसमें से तीनों पुत्रीयों को 03 कट्ठा 04 धुर प्रत्येक करके बँटवारा में हिस्सा मिला जिसे उभय पक्षों ने स्वीकार किया है।

यह भी विदित होता है कि बद्री लहेरी के प्रथम पुत्री को मात्र एक पुत्र मो0 इब्राहिम , पिता मो0 ताहिर हुए, द्वितीय पुत्री से दो पुत्र यासीन एवं मो0 छोटकन उर्फ सुलेमान पिता– मो0 महबाली लेहेरी हुए तथा तीसरी पुत्री से दो पुत्र मो0 सिद्दकी वो मो0 छोटकन हुए। मो0 ईब्राहिम ने अपनी कुल 03 कट्ठा 04 धुर में से 01 कट्ठा 10 धुर दिनांक 23.12.1967 को विपक्षी के दादा मो0 अजीज नदाफ के नाम से बयनामा कर दिया और उसके बाद इब्राहिम ने 01 कट्ठा 04 धुर जमीन लतर मंडल पिता रूपन मंडल को दिनांक 27.12.1967 को बयनामा कर दिया तथा बकिये जमीन 10 धुर मस्जिद में दान कर दिया।

बद्री लहेरी के द्वितीयक पुत्री के प्रथम पुत्र मो0 यासीन ने दिनांक 16.04.1963 को अपने हिस्से की 01 कट्ठा 12 धुर भूमि मो0 मुसलीम को बयनामा कर दिया तथा मो0 मुसलीम ने उक्त खरीदगी भूमि को दिनांक 29.12.1965 को जगरनाथ मंडल पिता लत्तर मंडल को बयनामा कर दिया। इस प्रकार जग्रन्नाथ मंडल पिता लत्तर मंडल को अपने पिता के नाम बयनामा द्वारा हासिल दिनांक 27.12.1967 की बयनामा से 01 कट्ठा 04 धुर तथा 29.12.1965 के बयनामा से जग्रन्नाथ मंडल को 01 कट्ठा 12 धुर भूमि कुल 02 कट्ठा 16 धुर भूमि प्राप्त हुई थी स्पष्ट विदित होता है जिसे जग्रन्नाथ मंडल ने दिनांक 16.06.1981 को आवेदक सहित उनके सभी भाईयों के नाम बयनामा कर दखल कब्जा दे दिया जिसकी जमाबन्दी सं0– 111/5062 आवेदक सहित भाईयों के नाम कायम की गई तथा वर्ष 2011–12 राजस्व भुगतान कर रसीद प्राप्त किया गया है जो आवेदक के दावे को प्रमाणित करता है।

08/10/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	सुनने से विदित होता है कि आवेदक की भूमि से सटे पश्चिम विपक्षीयों के दादा अजीज नदाफ द्वारा खरीदगी 01 कट्ठा 10 धुर भूमि है जिसे विपक्षीगण एक बड़ा पलॉट बनाने के उद्देश्य से आवेदक की प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने की धमकी देते हैं जो नाजायज है। चूँकि प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का अधिकार एवं दखल–कब्जा स्पष्ट प्रतीत होता है। अतएव बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम की धारा–4 (ग) (घ) के तहत प्रश्नगत भूमि से विपक्षीयों को आशंकित बेदखली से प्रतिबंधित करना आवश्यक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के अनुकूल प्रतीत होता है। अतः विपक्षीयों को आदेश दिया जाता है कि आवेदक के अधिकार एवं दखल कब्जे वाली प्रश्नगत भूमि से बेदखल नहीं करें, अर्थात प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीयों को किसी भी प्रकार का व्यवधान या हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश की प्रति अंचलाधिकारी मनीगाछी/थानाध्यक्ष सकतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ सम्प्रेषित करें। **लेखापित एव शुद्धित** 08/10/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 08/10/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	